



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 13349 वर्ष 1982

चोखे याचिकाकर्ता

बनाम

डी.डी.सी. और अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: एम.सी.

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाड़िया

. इस मामले को "प्राथमिकता सुनवाई के लिए सबसे पुराने लंबित मामले" शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

2. सूची संशोधित। याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

3. रिट याचिका डिफॉल्ट रूप से **खारिज** की जाती है।

4. अंतरिम आदेश, यदि पहले दिया गया हो, तो उसे **रद्द** किया जाता है।

5. यदि कोई भी पक्ष इस आदेश से व्यथित है, तो वह आज से एक महीने के भीतर रिकॉल आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है।

जनवरी 30, 2026

सकलेन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)